

1. सभी अभ्यर्थी अपनी अर्हता स्वयं जाँच लें।
2. OBC/SC/ST/EWS/FF के प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे।
3. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सेवाओं हेतु जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।
4. ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने हाई स्कूल या इण्टरमीडिएट अथवा दोनों परीक्षाएं उ०प्र० से बाहर उत्तीर्ण की है, उन्हें उ०प्र० सरकार द्वारा निर्गत मूल निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. पी०डब्ल्यू०डी० सम्बन्धित प्रमाण-पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित सेंटर द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत एन०सी०सी० का सी प्रमाण-पत्र केवल ए/बी ग्रेड का ही मान्य होगा।

1- All candidates must check their eligibility before choice feeling.

2- OBC/SC/ST/EWS/FF certificate issued by UP Govt on defined format will only be accepted.

3- Certificates issued by UP Govt for central Services will not be accepted.

4- It will be mandatory for candidates, who have passed their High School or Intermediate or both from other state, to present the original Domicile Certificate in prescribed format issued by the UP Govt.

5- PWD related certificates issued by the Centers nominated by NMC/MCC will be valid.

6- For NCC Category, "C-Certificate" with "A Grade or B Grade" issued by Competent authority on prescribed format will be valid.